# कोरोना (कोविड-19) की दूसरी लहर एवं लॉकडाउन (2021) के प्रभावों से निबटने के लिए राजस्थान सरकार और केंद्र द्वारा की प्रमुख राहत घोषणाएं

**22 जून 2021**

नोवल कोरोना (कोविड-19) महामारी की दूसरी लहर (2021) में कोरोना महामारी से लड़ने और लॉकडाउन के परिणामस्वरूप लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अभी तक (9 जून 2021) की गयी कुछ महत्वपूर्ण राहत घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

**आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा**

| | |
|---|---|
| नरेगा कार्य पुनः आरम्भ (24 मई 20 जून) | ➢ कोरोना से बचाव के उपायों के साथ नरेगा के अंतर्गत कार्य पुनः आरंभ |
| कृषि ऋण में राहत | ➢ कोरोना संक्रमण के चलते सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को **31** मार्च, **2021** से बढ़ाकर **30** जून, **2021** तक कर दी गयी है। इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों द्वारा अवधिपार खाते का निस्तारण करने पर अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की **50** प्रतिशत तक की राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है।<br>➢ अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत प्रदान किये जाने का प्रवधान किया गया है। |

**बाल संरक्षण हेतु योजनाएं एवं प्रावधान:**

| | |
|---|---|
| मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना (12 जून) | राज्य सरकार द्वारा कोविड-**19** से अनाथ हुए बच्चों हेतु निम्न प्रावधान किये गए हैं;<br>➢ तत्काल आवश्यकता हेतु 1 लाख रु की वित्तीय सहायता<br>➢ 18 वर्ष तक प्रति माह 2500 की सहायता<br>➢ 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख की सहायता<br>➢ कक्षा 12 तक की निशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय या छात्रावास के माध्यम से प्रदान करना<br>➢ कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से |

| | |
|---|---|
| | संचालित छात्रावास में प्राथमिकता से प्रवेश<br>➢ कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ<br>मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता |

**कोरोना के कारन विधवा हुई महिलाओं हेतु प्रवधान:**

| | |
|---|---|
| कोविड-19 से पति की मृत्यु होने पर (12 जून) | कोविड-19 से पति की मृत्यु होने पर विधवा महिला के लिए निम्न प्रवधान किये गए हैं:<br>• तत्काल 1 लाख रु की एकमुश्त अनुग्रह सहायता<br>• 1500 रु प्रति माह पेंशन<br>• ऐसी विधवा महिला के बच्चों को 1 हजार रु प्रति माह तथा विद्यालय की पोशाक व किताबों के लिए 2000 प्रति वर्ष दिया जायेगा |

**स्थानीय विधायक कोष का उपयोग:** राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थानीय विधायक कोष का उपयोग निम्न कार्यों हेतु किये जाने के प्रस्ताव को 10 मई 2021 को स्वीकृति प्रदान की गयी है:

| | |
|---|---|
| 600 करोड़ (3 करोड़ प्रति विधायक) | 18 से 44 वर्ष के निशुल्क टीकाकरण के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में हस्तांतरित किये जाएंगे |
| 50 करोड़ (25 लाख प्रति विधायक) | मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत करोना मिटिगेशन फण्ड में गरीब, असहाय, निराश्रित मजदूर के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए |
| 200 करोड़ (1 करोड़ प्रति विधायक) | स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने में विधायक की अनुशंषा से खर्च किया जायेगा |
| 150 करोड़ (75 लाख प्रति विधायक) | स्थानीय विकास के लिए विधायक की अनुशंषा से खर्च किया जायेगा |

**केंद्र सरकार द्वारा राहत घोषणाएं:**

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी को 5 किलो अतिरिक्त गेहूं दीपावली (नवम्बर 2021) तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाएंगे।
- करोना से ट्रांसजेंडर की आजीविका प्रभावित होने के कारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर के खाते मे 1500 रु दिए जाएंगे। इसके लिए पंजीयन https://forms.gle/H3BcREPCy3nG6TpH7 पर किया जा सकता है ।
- करोना से प्रभावित बच्चों (जो बीमार हैं या जो आइसोलेशन में रह रहे हैं या जिनके माता पिता का करोना से मृत्यु हो गयी है) को टेलेफोनिक कोउन्सल्लिंग सेवा प्रदान किये जाने हेतु NCPCR द्वारा "संवेदना" कार्यक्रम शुरू किया गया है । यह सेवा टोल फ्री नंबर 1800-121-2830 पर सोमवार से शनिवार 10 से 1 बजे तथा 3 से 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी ।

- केंद्र सरकार ने पीएम केयर फण्ड से करोना से अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र हो जाने पर मासिक भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया है । इन बच्चों को 23 साल का होने पर 10 लाख रु दिए जाएंगे । इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। जो अनाथ बच्चा उच्च शिक्षा लेना चाहता है उसको ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा एवं ऋण के ब्याज का भुगतान पीएम केयर फण्ड से किया जायेगा। 18 साल की उम्र तक बच्चे को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जायेगा जिसके प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर फण्ड से किया जायेगा। (29 मई 2021 की घोषणा)

**केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश तथा घोषणाएं:**

- केंद्र सरकार ने दिनांक 1 जून 2021 को आदेश जारी करके सभी राज्य सरकरों को कहा है कि राज्य में सड़क पर रहने वाले, कचरा बीनने वाले, रिक्शा चलने वाले, फेरीवाला तथा प्रवासी मजदूर की पहचान कर राशन कार्ड बनाए जाएं तथा उनके लिए राशन की व्यवस्था की जाये।
- केंद्र ने करोना से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के लिए □□ एक्ट 2015 के तहत राज्य सरकार को दिनांक 2 जून 2021 को दिशा निर्देश जारी किया है;
    - बच्चों की पहचान करना तथा रुपरेखा तैयार करना
    - सतर्कता और सुरक्षा
    - आपातकालीन देखभाल और पुनर्वास
    - बाल देखभाल संस्थानों के माध्यम से संस्थागत सहायता
    - जिला प्रशासन प्रभावित के अभिभावक के रूप में
    - पुलिस द्वरा बच्चों को बाल मजदूरी से बचाना

- प्रवासी मजदूरों के लाभ हेतु उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12 एवं 13 मई 2021 के अनुसार बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को आत्म निर्भर भारत योजना या अन्य योजना के तहत राशन दिया जाए। आदेश के अनुसार जिनके पास अपना पहचान का साबुत नहीं है तो स्व: प्रमाण के आधार पर राशन दिया जाए। इसके अतिरिक्त सामुदायिक रसोई के तहत दोनों वक्त के भोजन की व्यवस्था की जाए तथा जो घर लौटना चाहते है उनके लिए परिवहन साधन की व्यवस्था की जाए।

*(**नोट:** यह प्रपत्र कोरोना की दूसरी लहर के दौरान महामारी से निबटने एवं लॉकडाउन के परिणामस्वरूप प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा की गयी प्रमुख घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। हालाँकि इस प्रपत्र में दी गयी जानकारी सरकारी घोषणाओं, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन और सरकारी आदेशों पर आधारित है। फिर भी किसी भी घोषणा या योजना की विस्तृत और नवीनतम जानकारी के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग से संपर्क करना ठीक रहेगा।)*